फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 04.02.2024

राज्य स्तरीय माफिया अनुपम दुबे का गुर्गा एवं अपहरण के अभियोग में वांछित शातिर अपराधी आशीष पाण्डेय को थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ **श्री विकास कुमार** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **श्री डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी नगर **श्री प्रदीप कुमार** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पुलिस, एसओजी/सर्विलान्स टीम द्वारा थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 357/2023 धारा 147/323/506/364A/386/341/120B भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक-20.07.2023 को रवि मोहन पुत्र श्री चन्द्रमोहन निवासी मोहल्ला मरकिचिया कस्बा व थाना बेबर जनपद मैनपुरी द्वारा थाना मऊदरवाजा पर तहरीर दी गयी कि उसके परिवार की अनुपम दुबे गैंग से रंजिस चल रही है जिसके चलते अनुपम दुबे आदि 05 नफर व 02 अज्ञात द्वारा उसके पिता श्री चन्द्र मोहन का बघार नाला के पास से अपहरण कर लिया गया है, तहरीर के आधार पर थाना मऊदरवाजा पर मु0अ0सं0 357/2023 धारा 147/323/506/364A/386/341/120B भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त आशीष पाण्डेय पुत्र स्व0 चन्द्रपाल पाण्डेय निवासी ग्राम अलीपुर पट्टी थाना भौगाँव जनपद मैनपुरी जो उक्त अभियोग के अतिरिक्त कोतवाली मोहम्मदाबाद के मु0अ0सं0 69/2023 धारा 364/386/342/504/506/34 भा0द0वि0 में भी वांछित अपराधी है तथा राज्य स्तरीय माफिया अनुपम दुबे गैंग का गुर्गा है। आशीष पाण्डेय उपरोक्त ने अपने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर अनुपम दुबे के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में समझौता करने के उद्देश्य से तैयार कराये गये प्रपत्रों पर हस्ताक्षर न करने पर वादी मुकदमा के पिता का अपहरण किया गया था। विवेचना के अनुक्रम में थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा अपहरण में प्रयुक्त वाहन हुन्डई क्रेटा व अपहरण में शामिल अभि0 विनीत दुबे उर्फ बीनू पुत्र रामकृष्ण दुबे निवासी ग्राम सहसापुर कोतवाली मोहम्मदाबाद को दिनांक 21.07.2023 को गिरफ्तार किया जा चुका है। उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त आशीष दुबे को दिनांक 03.02.2024 को थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. आशीष पाण्डेय पुत्र स्व0 चन्द्रपाल पाण्डेय निवासी ग्राम अलीपुर पट्टी थाना भौगाँव जनपद मैनपुरी।

पूछताछ विवरण अभियुक्त आशीष उपरोक्त:- अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि चन्द्रमोहन सूरी पुत्र तिलकराज सूरी निवासी मोहल्ला मरकिचिया कस्बा व थाना बेवर जनपद मैनपुरी ने थाना मोहम्मदाबाद में मेरे व अन्य लोगो के खिलाफ 69/23 थाना मोहम्मदाबाद मे पंजीकृत कराया था जिसमे मेरे जीजा अनुराग दुबे व उनके भाई अनुपम दुबे का भी नाम लिखा दिया था जिसके बाद अनुपम दुबे के कहने पर हम लोगो ने कई बार चन्द्रमोहन सूरी को समझाने का प्रयास किया तो वह नही माना तो योजनाबद्ध तरीके से चन्द्रमोहन सूरी जब तारीख पर फतेहगढ़ कचहरी आ रहा था तो फैसले का दवाब बनाने के लिए मैनें अपने साथियों के साथ मिलकर चन्द्रमोहन उपरोक्त का अपहरण कर लिया।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आशीष पाण्डेय उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 357/2023 धारा 147/323/506/364A/386/341/120B भा0द0वि0 मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

2. मु0अ0सं0 69/23 धारा 364/386/342/504/506/34 भा0द0वि0 कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

3. मु0अ0सं0 3/24 धारा 323/504/506/325/332 भा0द0वि0 थाना भौगांव जनपद मैनपुरी।

बरामदगी विवरण:-

1.एक अदद मोबाइल आईफोन सफेद रंग(जामा तालाशी)

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना मऊदरवाजा:-

1. प्र0नि0 श्री आमोद कुमार सिंह
2. उ0नि0 शिव कुमार
3. उ0नि0 प्रशान्त कुमार
4. मु0आ0 ललित कुमार
5. आ0 लायक
6. आ0 राजकमल
7. आ0 आशू
8. आ0 पंकज कुमार

एसओजी टीम:-

1. प्र0नि0 श्री अमित गंगवार
2. आ0 दिव्यांशु
3. आ0 विकास चन्द्र
4. आ0 प्रिंस युवराज
5. मु0आ0 चालक अवधेश कुमार

सर्विलान्स टीम:-

1. उ0नि0 श्री विशेष कुमार (प्रभारी)
2. मु0आ0 संदीप राव
3. मु0आ0 करन यादव
4. मु0आ0 अनुराग कुमार
5. मु0आ0 अजय सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ़

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 04.02.2024

थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने व धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ **श्री विकास कुमार** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **श्री डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी नगर **श्री प्रदीप कुमार** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 27.09.2023 को अवधेश सिंह पुत्र बलराम सिंह निवासी बहवलपुर थाना छिबरामऊ जनपद कन्नौज ने मऊदरवाजा पर तहरीरी सूचना दी की उसके पिता नें एक जमीन श्री ज्ञानकुमार पुत्र बालकराम निवासी मनिहारी थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ से जरीये बैनामा दिनाकं 28.12.1991 को खरीदी थी जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तगण शीलकुमार आदि 04 नफर द्वारा विक्रेता श्री ज्ञानकुमार का एक फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया गया जिसमें उनकी मृत्यु 18.08.1991 को होना दर्शायी गयी जबकि ज्ञानकुमार की मृत्यु दिनांक 07.03.1992 को हुयी थी तथा फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया गया जिसके आधार पर थाना मऊदरवाजा पर मु0अ0सं0- 436/2023 धारा- 420/467/468/471 भादवि बनाम शीलकुमार आदि पंजीकृत किया गया। इसी अनुक्रम में नामजद अभियुक्तगण 1. सौरभ हजेला पुत्र शील कुमार हजेला निवीस बहवलपुर कोतवाली छिबरामऊ जनपद कन्नौज 2. नन्दकिशोर पुत्र देवीदयाल निवासी नगर पालिका परिसर फर्रुखाबाद को दिनांक 03.02.2024 को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण सौरभ हजेला:-

सौरभ हजेला उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मेरे द्वारा कोई भी कूट रचना या फर्जीवाड़ा नहीं किया गया है। मेरे पिताजी श्री शीलकुमार हजेला द्वारा नगर पालिका परिषद फर्रूखाबाद से मेरे चचेरे भाई ज्ञानकुमार का मृत्युप्रमाणपत्र जारी करने का आवेदन किया गया था तथा उन्होंने मेरे पिता के हक में 1988 में बसीयत की थी उसी बसीयत के आधार पर मेरे पिताजी द्वारा मेरे नाम वर्ष 2022 में एक दानपात्र मेरे नाम किया गया था। तथा मेरे गांव के ही रहने वाले अवधेश जो कि माफिया है उन्होंने मेरे चचेरे भाई ज्ञानकुमार से अपने पिता के नाम 1991 में बैनामा करा लिया था जबकि उससे पूर्व ही मेरे चचेरे भाई की मृत्यु हो चुकी थी। अवधेश ने मेरे खिलाफ एक मुकदमा थाना छिवरामऊ में 2022 में लिखाया था जिसमें माननीय उच्च न्ययायालय इलाहाबाद से मैने स्टे ले रखा है। मैनें अपने चचेरे भाई ज्ञानकुमार का मृत्यु प्रमाणपत्र वर्ष 2023 में बनवाया था।

पूछताछ विवरण अभियुक्त नन्दकिशोर उपरोक्त:- मैनें कोई अपराध नही किया है मैं इस सम्बन्ध में अपनी सफाई मा0 न्यायालय मे दूंगा।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. सौरभ हजेला पुत्र शील कुमार हजेला निवीस बहवलपुर कोतवाली छिबरामऊ जनपद कन्नौज।
2. नन्दकिशोर पुत्र देवीदयाल निवासी नगर पालिका परिसर फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सौरभ हजेला उपरोक्तः-

1. मु0अ0सं0 625/2022 धारा 120बी/420/467/468/471/506 भादवि कोतवाली छिबरामऊ जनपद कन्नौज।
2. मु0अ0सं0 436/2023 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नन्दकिशोर उपरोक्तः-

1. मु0अ0सं0 436/2023 धारा 420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़

गिरफ्तार करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिसः

1. व0उ0नि0 श्री सुहेल खान
2. उ0नि0 दीपक कुमार
3. आ0 अभिषेक
4. आ0 गौरव
5. आ0 सचिन
6. म0का0 विमलेश

मीडिया सेल फतेहगढ़

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – कोतवाली कायमगंज

दिनांक :- 04.02.2024

कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 22/24 धारा- 3(1) गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ **श्री विकास कुमार** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **श्री डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी कायमगंज **श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ पर पंजीकृत **मु0अ0सं0- 22/24 धारा- 3(1) गैंगस्टर एक्ट** में वांछित अभियुक्त **सुखवीर पुत्र कश्मीर सिंह नि0 ग्राम रुटौल कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़** को कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा दिनांक 04.02.2024 गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 05.01.2023 को ग्राम प्रधानों द्वारा उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर ग्राम पंचायत बेहटा बल्लू, कासिमपुर तराई, समेचीपुर चितार, गुटेटि दक्षिण ब्लाक शमशाबाद में विकास कार्य हेतु आये कुल 16,27,343 रुपए को गबन करने के सम्बन्ध में सचिव/ग्राम विकास अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी के विरूद्ध शिकायत की गई थी। जिसमें उच्चाधिकारियों के आदेश के क्रम वादी मुकदमा एडीओ पंचायत ब्लाक शमशाबाद जनपद फर्रूखावाद श्री आफाक हुसैन द्वारा थाना शमशावाद पर मु0अ0सं0- 05/23 धारा- 409 भादवि बनाम कपिल देव त्रिपाठी उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था एवं विवेचना से सम्बन्धित जे0ई0 अशोक कुमार उपरोक्त का पूर्ण रूप से सहयोग पाये जाने पर मुकदमा उपरोक्त मे अन्तर्गत धारा- 409/120बी भादवि मे प्रकाश मे नाम लाते हुये सम्बन्धित अभियुक्त अवर अभियंता अशोक कुमार पुत्र श्री महेंद्र पाल सिंह राजपूत निवासी ग्राम सिरसा बदन थाना मारहरा जनपद एटा, वर्तमान पता मौ0 अमीन खां थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रूखावाद, हाल तैनाती लघु सिंचाई विभाग फतेहगढ़ को आज दिनांक 04.02.2024 गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त से पूछने पर बताया कि मैं वर्तमान समय मे लघु सिचाई विभाग फतेहगढ मे सहायक अभियन्ता कार्यालय मे अवर अभियन्ता के पद पर कार्यरत हूँ, उच्चाधिकारीगणो के आदेश के क्रम मे ग्राम पंचायत बेहटा बल्लू के नगला मलू मे जू0हा0 स्कूल व पंचायतघर तथा ग्राम पंचायत गुटैटी दक्षिण मे स्थित पंचायतघर मे बिजली पानी फिटिंग व ग्राम पंचायत समैचीपुर चितार मे स्थित पंचायतघर मे बिजली पानी फिटिंग एवं ग्राम पंचायत कासिमपुर तराई मजरा साधौ सराय मे स्थित पंचायत घर मे बिजली पानी फिटिग एवं रंगाई पुताई कराने हेतु प्रस्ताव स्टेटमेन्ट तैयार करने हेतु नामित किया गया था, स्थलीय मुआयना करने के उपरान्त मेरे द्वारा ग्राम पंचायतवार कार्यो के नाम व बजट की रूपरेखा तैयार कर सम्बन्धित को उपलब्ध करायी गयी थी, के आधार पर उपरोक्त ग्राम पंचायतो के सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री कपिल देव त्रिपाठी द्वारा अपने स्तर से काम कराया गया था, कराये गये कार्य की मैनेजमेन्ट बुक (MB) मेरे द्वारा तैयार की गयी थी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1- अशोक कुमार पुत्र श्री महेंद्र पाल सिंह राजपूत निवासी ग्राम सिरसा बदन थाना मारहरा जनपद एटा, वर्तमान पता मौ0 अमीन खां थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रूखावाद, हाल तैनाती अवर अभियंता लघु सिंचाई विभाग फतेहगढ़ उम्र करीब 42 वर्ष।

अभियुक्त काआपराधिक इतिहास:–

1. मु0अ0सं0 05/2023 धारा 409/120बी भादवि थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना शमसाबाद पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री बलराज भाटी
2. उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह
3. का0 गौरव
4. का0 प्रिंस कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।

पूछताछ का विवरण -

गिरफ्तार अभियुक्त सुखवीर पुत्र कश्मीर सिंह नि0 ग्राम रुटौल कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ ने पूछने पर बताया कि मुझसे गलती हो गयी है। भविष्य में नहीं करुँगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. सुखवीर पुत्र कश्मीर सिंह निवासी ग्राम रुटौल कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ ।

अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0- 317/22 धारा- 420/467/468/471/120बी/34 भादवि कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।
2. मु0अ0सं0- 247/23 धारा- 420/467/468/471/34/506 भादवि कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।
3. मु0अ0सं0- 22/24 धारा- 3(1) गैगस्टर एक्ट कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 रामअवतार कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।
2. उ0नि0 लालजी यादव
3. हे0का0 जावेन्द्र सिंह
4. का0 अभिषेक कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़

शैलेन्द्र सिंह राठौर
सिटी लाइट्स
बैंक्वेट हॉल